राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 2415, 2416 एवं 2417/2016....................................जिला................................जयपुर..........

उनवान – मैसर्स मि. बीन्स, सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर बनाम् 1. अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, जयपुर 2. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–राजस्थान, जोन–तृतीय, वृत्त प्रथम, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/11/2016	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री राजीव चौधरी, सदस्य**	

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री आर.सी.शाह एवं विभाग की ओर से श्री डी.पी.ओझा, उप–राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

यह तीनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.11.2016 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 25, 55 एवं 61 के तहत् कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलों में अपीलीय अधिकारी द्वारा निम्नांकित तालिकानुसार विवादित मांग राशियों में से शेष बकाया राशि रूपयों की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्रों को आंशिक स्वीकार किया, जिसके विरूद्ध यह तीनों अपीलें धारा 38(4) सहपठित धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है। तीनों अपीलों में पक्षकार एवं विवाद बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जा रही है।

अपील सं.	अवधि	अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि	अपीलीय अधि. द्वारा स्थगित शास्ति राशि	राशि जिस हेतु स्थगन चाहा गया
1	2	3	4	5
2415/16	14–15	11,12,498	7,13,248	4,32,801
2416/16	15–16	42,808	35,010	8,570
2417/16	15–16	5,54,177	3,71,246	2,00,028

अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलें अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.11.2016 आंशिक रूप से स्वीकार की गई एवं शेष राशि को स्थगित नहीं करने का कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह तीनों अपीलें कर बोर्ड में प्रस्तुत की गयी हैं।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्रों को आंशिक स्वीकार करने के संबंध में कोई कारण अंकित नहीं किया है। व्यवहारी द्वारा अनब्राण्डेड सेण्डविच, पिज्जा, बर्गर आदि का विक्रय किया जाता है, जिस पर 5 प्रतिशत की दर से कर वसूल करते हुए राजकोष में जमा कराया जा रहा है जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने 14 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित की है, जो अविधिक है। अतः मांग राशियों के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा

25/11/16

लगातार..........2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2415, 2416 एवं 2417/2016.....................................जिला...............................जयपुर..........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज -: 2 :-	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/11/2016	संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशियों (उपरोक्त तालिकानुसार कॉलम संख्या 5) की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी । विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेशों का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी। हमने उभयपक्ष की बहस सुनी एवं रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में बिक्रीत खाद्यय पदार्थों के विक्रय पर कर दर विवादित है। व्यवहारी द्वारा अनब्राण्डेड सेण्डविच इत्यादि के विक्रय पर 5 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया जाकर राजकोष में जमा करवाया गया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने स्पष्ट किया है कि उसके द्वारा विक्रीत उक्त वस्तुऐं ब्राण्डेड श्रृंखला के आउटलेटस द्वारा ब्राण्डेड वस्तुऐं बिक्रीत नहीं है। चूंकि प्रकरण में कर दर का बिन्दु विवादित है, जिस पर अपीलीय अधिकारी के स्तर से निर्णय होना शेष है। कर बोर्ड की माननीय विविध खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय अपील संख्या 1755/2016/जयपुर मैफिक्स फूडस बनाम सहायक आयुक्त निर्णय दिनांक 23.08.2016 एवं अपील संख्या 1041/2016/जयपुर मैसर्स आईनोक्स लेजर लि0 बनाम सीटीओ निर्णय दिनांक 23.05.2016 को मध्यनजर रखते हुए प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होने से इन प्रकरण पर आरोपित कर एवं ब्याज की राशियों को उपरोक्त अपीलों के निस्तारण तक स्थगित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करने की शर्त पर अपीलों के निस्तारण तक उपरोक्त तालिका के कॉलम नं0 5 में वर्णित राशि को स्थगित किया जाता है। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के तीन माह में अपीलों का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। अपीलों का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेशों को प्रसारित किया गया। 25/11/16 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर 25.11.2016 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	